कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/एपीओ पदस्थापन/प्रधानाचार्य/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया, प्रधानाचार्य, एपीओ कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन्डा, सम जिला जैसलमेर पदस्थापित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री सुरोलिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18106/2019 विजेन्द्र कुमार सुरोलिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18106/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.10.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री विजेन्द्र सुरोलिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित करते हुए श्री सुरोलिया को पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानाबास, नीम का थाना जिला सीकर में पदस्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना बास, नीम का थाना जिला सीकर में श्री विजय सिंह के प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित होने के फलस्वरूप दोहरे पदस्थापन की स्थिति के मद्देनजर एवं श्री सुरोलिया द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालोटा, खेतडी जिला झुन्झुनूं में समायोजित किये जाने के निवेदन के क्रम में श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन्डा, सम जिला जैसलमेर का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालोटा, खेतडी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में तत्काल अपने नवीन समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/विजेन्द्र/18106/2019 दिनांकः 18.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/चूरू संभाग, जोधपुर/चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खेतडी जिला झुन्झुनूं को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)